संख्याः /VII–I /11–सिडकुल/2016

प्रेषक,

एस0रामास्वामी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, पटेल नगर
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 20 जून, 2016

विषयः **मेगा इण्डस्ट्रियल पालिसी 2015 में औद्योगिक इकाईयों को दी गयी रियायतों/छूटों हेतु प्राविधानित चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनागत पक्ष में लेखानुदान की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के दृष्टिगत **मेगा इण्डस्ट्रियल पालिसी 2015 प्रख्यापित की गई है, जिसमें औद्योगिक इकाईयों को दी गयी रियायतों/छूटों हेतु** चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में ₹ 25000 हजार (₹ दो करोड़ पचास लाख मात्र) आप के निर्वतन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त धनराशि नियमानुसार आहरित कर राज्य आवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) को उपलब्ध करायी जायेगी।

1 प्रश्नगत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ अवमुक्त की जा रही है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं वास्ततिक व्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

2 धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

3 बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

4 अवमुक्त की जा रही धनराशि का अवश्यकतानुसार आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अतिरिक्त व्ययभार सृजित किया जायेगा।

2518

5 धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिकों के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6 प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि प्रथम किस्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण (U.C) शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त निर्गत की जायेगी।

7 प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान के अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक 2851 – ग्रामोद्याग तथा लघु उद्योग 101 औद्योगिक क्षेत्र –03 मेगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी 2015– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे में डाला जायेगा।

8 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 196(A)/XXVII(II)/2016 दिनांक 10,जून 2016 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(एस0रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 496 (1)/VII–I/11–सिडकुल/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा,) वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, देहरादून
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0आर0राजेश कुमार)
अपर सचिव।